रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72
REGISTERED No. D. (D.N.) 72

11/7/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 2, 1986/वैशाख 12, 1908
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 2, 1986/VAISAKHA 12, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 मई, 1986

संकल्प

फा. सं. आर. 11012/15/85-आर. डब्ल्यू. :—भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने अपने दिनांक 22-1-1985 के संकल्प द्वारा यह विचार करने के लिए कि देश में मछुआरों की जीवन दशाओं में सुधार करने के लिए कौन से संवैधानिक और प्रशासनिक उपाय किए जाएं, एक अध्ययन दल गठित किया था जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों, कर्मकारों के प्रतिनिधि और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे।

2. समिति ने, जिसमें इसके गठन की तारीख से एक वर्ष के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी, एक बैठक की और श्रम मंत्रालय ने बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप संबंधित सूचना एकत्र की है।

3. कृषि मंत्रालय ने मछुआरों के लिए कल्याण निधि का गठन पहले ही कर लिया है। कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए ई. पी. सी. ज्ञापन के अनुसार, वर्ष 1985-86 के दौरान सरकार के पास 100 लाख रुपये की राशि है। यह व्यय केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50 : 50 आधार पर किया जाना है। अतः इसलिए इसका अर्थ होगा कि वर्ष 1985-86 का आबंटन 200 लाख रुपये का होगा।

चूंकि राष्ट्रीय कल्याण निधि के लिए 200 लाख रुपये आबंटन पूर्णतः पर्याप्त हैं और कृषि मंत्रालय तथा राज्य सरकारें मछुआरों की जीवन दशाओं में सुधार लाने के लिए कदम उठा रही हैं, इसलिए श्रम मंत्रालय का विचार है कि मछुआरों के बारे में अध्ययन दल जारी रखने का कोई आवश्यक प्रयोजन नहीं होगा।

4. अतः यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त संकल्प के तहत गठित मछुआरों के लिए अध्ययन दल को समाप्त कर दिया जाए।

5. उपर्युक्त कारणों से उक्त त्रिपक्षीय अध्ययन दल को समाप्त करने का संकल्प किया जाता है।

ए. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव/महानिदेशक (श्रम कल्याण)

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 2nd May, 1986

RESOLUTION

File No. R. 11012|15|85-RW.—The Government of India in the Ministry of Labour vide their resolution dated 22-1-85 constituted a Study Group consisting of representatives of the Central and State

Governments, Workers' representatives and Employers' representatives to consider as to what legislative and administrative measures should be taken to improve the living conditions of the fishermen in the country.

2. The Committee which was required to submit its report within a period of one year from the date of its constitution, held one meeting and Ministry of Labour has collected related information consequent on the decision taken in the meeting.

3. Ministry of Agriculture have already constituted a Welfare Fund for Fishermen. According to the EPC Memorandum prepared by Ministry of Agriculture an amount of Rs. 100 lakhs is available with the Government during 1985-86. The expenditure is to be shared by the Central and State Governments on 50 : 50 basis. This would therefore, mean the allocation for 1985-86 will be Rs. 200 lakhs.

Since the allocation of Rs. 200 lakhs for National Welfare Fund is quite substantial and the Ministry of Agriculture and State Governments are taking steps to improve the working and living conditions of fishermen, the Ministry of Labour are of view that no useful purpose would be served by continuing the Study Group on fishermen.

4. It has therefore, been decided that the Study Group for fishermen constituted by the aforesaid resolution should be wound up.

5. For the reasons stated above it is hereby resolved that the tripartite Study Groups be wound up.

A. K. SRIVASTAVA, Joint Secretary|Director General (Labour Welfare)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986